न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 21/24 — दायर दिनांकः 20.03.2024
जीसीएमएस नं. 2024/49

<u>उनवान</u>

नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति जाट पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादी

बनाम

1 भूपेन्द्रसिंह 2 बिजेन्द्रसिंह पुत्रान प्रेमसिंह 3 सुशीला पुत्री प्रेमसिंह 4 अनीता पत्नि श्यामसिंह 5 सागरसिंह 6 बादलसिंह पुत्रान श्यामसिंह 7 जयदेई पत्नि अमृतसिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. 8 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1. श्री लेखराज चौधरी ——वादी
2. श्री प्रियंका कुमारी ——प्रति.सं. 3

<u>निर्णय दिनांक 07.11.2025</u>

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 2358 रकवा 0.6600 हेक्टेयर वाके ग्राम बाछरैन तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसमे वादी 17/70 हिस्से का व शेष हिस्से के मुताविक जमावन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

आराजी खसरा नम्बर 2358 रकवा 0.6600 हेक्टेयर की आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। लेकिन मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण ने आराजी का बाहमी मनवट के आधार पर विभाजन करते हुए अपने अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते हुए अपने उपयोग व उपभोग मे लेते चले आ रहे है। वादी ने अपने हिस्से की आराजी मे से 776 वर्गमीटर का आवासीय भूमि रूपान्तरण दिनांक 29.03.2000 को श्रीमान तहसीलदार वैर के आदेशानुसार करा लिया है, जिसके आधार पर वादी ने अपने हिस्से की आराजी मे आवासीय पुख्ता मकानियत बना कर रिहायश करता चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक व्यक्ति है, जो वादी के हिस्से का पूरा पूरा लाभ प्राप्त नही होने देते है। और वादी के हिस्से की आराजी पर जवरन लटठ व ताकत के बल पर कब्जा कर बेदखल कर महरूम करना चाहते है। जबकि वादी के हिस्से की आराजी के वावत प्रतिवादीगण को कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनांक 30.01.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण से आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण ने विभाजन से इंकारी करते हुए धमकी दी कि हम तो बिना विभाजन कराये अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेते हुए अपना कब्जा करके रहेगे, और तुझे अच्छी व मौके की

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगे, और तुझे तेरे हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग नही करने देगे। अतः वादी, प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का कानूनी विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा कानूनी विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने बाबत निवेदन किया गया है।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 3 की ओर से प्रियका कुमारी एड. द्वारा वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई तथा प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5, 6, 7 की तामील जरिये अखबार स्याहा से कराने पर भी कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। उन्होंने विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत सहमति जताई गई।

पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों का भली भाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा उनके पत्रांक/भू.अ./2025/6454 दिनांक 14.10.2025 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/भू.अ./2025/6454 दिनांक 14.10.2025 के अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०